

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

क्रमा संख्या :- 04/2021 970 क

मिशनर 510 गिरवाणी युआर नि० गैरवाणी - 1584/281

प्रशासनिक मामलों के संग अभिवान-2021

प्रार्थी.....

बनाम

विपक्षिता मिनरवा एडवोकेटस प्राइवेट लिमिटेड को विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 30/11/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत वेदन किया कि ग्राम गौशाला..... पटवार हल्का गौशाला..... तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 120 आराजी नम्बर 1584/281 0.2529

कुल किता 1 रकबा 0.2529

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की सीमा पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/11/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को क्रमार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... पटवार हल्का..... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 1584/281 0.2529

कुल किता 1 रकबा 0.2529

पटवार भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-निरीक्षक को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की सीमा में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर सीमा गढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

— प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभाती अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

नोट :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभाती अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा